उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ़ शासन

माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभागीय समीक्षा बैठक दिनांक 09.10.2015 का

कार्यवाही विवरण

दिनांक 09.10.2015 को अपरान्ह 04:00 बजे मंत्रालय, नया रायपुर स्थित सभाकक्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली गई । समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री मान0 श्री प्रेमप्रकाशजी पाण्डे, मुख्य सचिव महोदय एवं अन्य अधिकारी–गण उपस्थित रहें। उपस्थित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट–'अ' पर संलग्न है।

बैठक में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा डॉ0बी0एल0अग्रवाल के द्वारा उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। बैठक में विभाग की ओर से एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। उक्त प्रस्तुतिकरण की प्रति इस कार्यवाही विवरण के भाग के रूप में परिशिष्ट –'ब' पर संलग्न है।

विभागीय समीक्षा के दौरान विभाग द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही, अर्जित उपलब्धि एवं अन्य सुसंगत गतिविधियों के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए मान0 मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभाग की सराहना की गई एवं चर्चा उपरांत बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर अतिरिक्त रूप से नीतिगत निर्णय लिया गया/निर्देश दिये गये :–

1. <u>पूर्व बैठक दिनॉक 14.10.2014 का पालन प्रतिवेदन –</u>

विभाग की समीक्षा बैठक पूर्व में दिनॉक 14.10.2014 को मान0 मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। इसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । विभिन्न बिन्दूओं पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए पालन प्रतिवेदन मान्य किया गया। विभाग द्वारा यह अवगत कराये जाने पर कि भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आदिवासी विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया गया है, बैठक में सुझाव दिया गया कि "मॉस कम्प्युनिकेशन एवं मॉस मीडिया" से संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जावे । इस संबंध में मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय के परिसर में ही या आसपास इस हेतु भवन बनाया जा सकता है। अतः नये प्रस्ताव के रूप से भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा जाये ।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग)

2/ <u>पं0 सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के संचालन के संबंध में –</u>

विभागीय प्रस्तुतीकरण के दौरान मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया किं पं0 सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित किये जा रहे स्टडी सेंटर/अध्ययन केन्द्र/परीक्षा केन्द्र आदि की समीक्षा कर इन्हें सुव्यवस्थित किया जाये । निर्देशित किया गया कि उक्त विश्वविद्यालय के अधिकांश स्टडी सेंटर एवं परीक्षा केन्द्र शासकीय महाविद्यालयों में ही यथासंभव खोले जाये। यदि किसी एक केन्द्र में परीक्षार्थियों की संख्या अत्यधिक है अथवा बाहरी क्षेत्रों के निवासी उक्त परीक्षा केन्द्र का चयन करते है तो उक्त केन्द्र के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद ही परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये । मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के कार्यो के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक तीन माह में किये जाने का प्रस्ताव रखा गया जिसपर सहमति व्यक्त की गयी ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग एवं पं0 सुंदरलाल शर्मा मुक्त विवि0)

Scanned by CamScanner

3 **विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा –**

बैठक में अवगत कराया गया कि मान0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार राज्य के बडे महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा प्रदान करने की प्रकिया प्रारंभ कर दी गयी है। निर्णय लिया गया कि चूंकि विश्वविद्यालय /महाविद्यालयों के परिसर फैले हुए हैं तथा कई एकड़ों में है, अतः पूरे परिसर को वाई–फाई करने के बजाय महत्वपूर्ण स्थानों जैसे हॉस्टल, लाईब्रेरी, प्रशासनिक भवन, कैंन्टीन आदि में हॉट–स्पॉट बनाकर वहां वाई–फाई की सुविधा प्रदान किया जावे । इस हेतु एन0आई0सी0 एवं चिप्स की सहायता ली जा सकती है ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/चिप्स/एन0आई0सी0)

4/ **विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में छात्र संख्या के अनुसार संकायों/विषयों का युक्तियुक्तकरण–**

बैठक में अवगत कराया गया कि अनेक ऐसे महाविद्यालय हैं जहां कुछ विषयों में छात्र संख्या अत्यंत कम है। यह स्थिति विश्वविद्यालयों में भी कुछ संकायों की है । इस संबंध में निर्देशित किया गया कि :–

- ऐसे पाठ्सक्रम जिनकी मांग है, की समीक्षा की जावे एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के साथ–साथ गणित, विज्ञान जैसे संकायों को प्रारंभ करने पर फोकस किया जावे। प्रदेश में वैसे भी गणित एवं विज्ञान विषय के शिक्षकों की कमी बनी हुई है ।
- ऐसे महाविद्यालय जहां केवल एक ही संकाय है। उन महाविद्यालयों में अतिरिक्त संकाय बढ़ाकर क्षमता वृद्धि किया जावे जिससे शहरी क्षेत्रों में छात्रों के प्रवेश का दबाव कम होगा। उदाहरण स्वरूप शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव में विज्ञान विषय के साथ–साथ कला एवं वाणिज्य संकाय भी प्रारंभ किया जाये ।
- शासकीय महाविद्यालय सुकमा में विज्ञान संकाय प्रारंभ करने हेतु प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा जावे।
- ऐसे महाविद्यालय जहां किसी विषय के प्राध्यापक नहीं है वहां संकुल योजना के आधार पर जिले के अन्य महाविद्यालय से उक्त विषय के प्राध्यापक को निकटस्थ महाविद्यालय में सप्ताह में एक या दो दिन पढ़ाने के लिये भेजा जाये ।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग)

5/ **विश्वविद्यालय के अधिकारीयों/कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की व्यवस्था–**

चर्चा उपरांत निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन भुगतान की कार्यवाही संबंधित विश्वद्यिालय के द्वारा ही संचालित किया जाये । इस संबंध में संचालनालय उच्च शिक्षा की कोई भूमिका नहीं है । वित्त विभाग इसका परीक्षण कर उचित आदेश प्रसारित करें।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग)

6/ **विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय दुर्ग एवं रायपुर में खोले जाने बाबत –**

प्रदेश में वर्तमान में तीन क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर में स्थापित है। विभाग के प्रस्ताव पर रायपुर एवं दुर्ग में भी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के संबंध में सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की गयी। इससे प्रशासनिक कसावट आयेगी । विभाग के द्वारा इस संबंध में प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को प्रेषित किया जावे।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

Scanned by CamScanner

7/ <u>शासकीय महाविद्यालयों के मरम्मत एवं रंग–रोगन संबंधी अधिकार प्राचार्यो को देने बावत् –</u>

बैठक में मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा बताया गया कि महाविद्यालयों के छोटे–मोटे मरम्मत कार्य, रंग रोगन आदि के लिये भी प्राचार्यो को लोक निर्माण विभाग के पास बारम्बार जाना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग के द्वारा महाविद्यालय के समुचित मेंटेनेंस का कार्य नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि महाविद्यालयों के लघु मरम्मत, रंग–रोगन जैसे छोटे कार्य जो रू0 2.00 लाख तक की सीमा में हो सकते हैं, प्राचार्य के द्वारा स्थानीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य स्थानीय एजेंसियों से भी कराये जाने का अधिकार प्रत्यायोजित किया जाये।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

8/ <u>महाविद्यालयों के बाऊण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य वन विभाग के माध्यम से कैम्पा फण्ड से कराये जाने बाबत–</u>

बैठक में मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा बताया गया कि अधिकांश महाविद्यालय का बाउण्ड्रीवाल नहीं होने से अतिक्रमण की आशंका बनी रहती है। अनेक महाविद्यालयों के प्राचार्यो ने बाउण्ड्रीवाल निर्माण की आवश्यकता भी विभिन्न बैठकों में बतायी है। इस संबंध में चर्चा उपरांत मान0 मुख्यमंत्रीजी ने निर्देशित किया कि महाविद्यालयों के बाउण्ड्रीवाल निर्माण का कार्य कैम्पा फण्ड से वन विभाग के माध्यम से कराया जा सकता है। इस हेतु वन विभाग को उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा सूची उपलब्ध कराया जाये जिससे महाविद्यालय कैम्पस में तार घेरकर वन विभाग के माध्यम से तार के आगे–पीछे प्लांटेशन का कार्य किया जा सकता है। यह कार्य कैम्पा फण्ड से कराया जा सकता है।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग एवं वन विभाग)

9/ <u>प्रदेश में आवासीय महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में –</u>

बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव, रायपुर एवं बिलासपुर में इस वर्ष आवासीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु 50–50 छात्रों को प्रवेश दे दिया गया है । मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि इन महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को आवास एवं भोजन में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाना उचित होगा । चर्चा उपरांत मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि इन महाविद्यालयों में प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से दिया जाना चाहिये तथा यदि इन्हें अनुदान की आवश्यकता हो तो इसका प्रस्ताव विभाग पृथक से वित्त विभाग को उपलब्ध कराये। पी0पी0पी0 मॉडल पर इन महाविद्यालयों का संचालन किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है । इस संबंध में सचिव, वित्त ने बताया कि सी0आई0डी0सी0 के माध्यम से इस संबंध में कार्यवाही प्रकियाधीन है। मान0 मुख्यमंत्रीजी ने सुझाव दिया कि इन महाविद्यालयों के साथ यदि हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध करायी जा सके तो यह अच्छा रहेगा । इस संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जावे।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

10/ <u>संवाद/जनसंपर्क के माध्यम से पृथक बजट आबंटन की व्यवस्था –</u>

मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि उच्च शिक्षा विभाग के विज्ञापनों के लिये पृथक से कोई बजट आबंटन नहीं है । संवाद/जनसंपर्क से इस हेतु पृथक बजट आबंटन उपलब्ध कराया जाये। इस संबंध में मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा विचार करने का आश्वासन दिया गया।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग, वित्त विभाग)

Scanned by CamScanner

11/ <u>अशासकीय कन्या महाविद्यालयों के अनुदान के संबध में –</u>

बैठक में अवगत कराया गया कि विगत वर्ष प्रदेश के 3 अशासकीय कन्या महाविद्यालय यथा – 1 श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महाविद्यालय, रायपुर 2. गुरूकुल महिला महाविद्यालय, रायपुर, 3. अग्रसेन कन्या महाविद्यालय, दर्रीरोड, कोरबा, को शासन की ओर से अनुदान उपलब्ध कराया गया है । वित्त विभाग के द्वारा प्रथम वर्ष 50 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 75 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 100 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराये जाने की सहमति व्यक्त की गयी थी। मान0 उच्च शिक्षा मंत्रीजी के द्वारा प्रस्ताव रखा गया कि ऐसे अन्य कन्या महाविद्यालयों को भी अनुदान दिया जाना चाहिये । चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि वर्तमान में उक्त 3 कन्या महाविद्यालयों को विगत वर्ष की भांति अनुदान की राशि 50 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जाये । इस संबंध में वित्त विभाग के द्वारा परीक्षण कर निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

12/ <u>अशासकीय महाविद्यालयों का शासकीयकरण के संबंध में –</u>

बैठक में जानकारी दी गयी कि मंत्रि परिषद निर्णय के फलस्वरूप नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनीनगर (अहिवारा),जिला–दुर्ग, ग्राम्य भारतीय विद्यापीठ, हरदी बाजार, जिला कोरबा एवं शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर का शासकीयकरण करने के आदेश जारी कर दिये गये है। इस परिप्रेक्ष्य में कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, देवेन्द्र नगर, रायपुर के शासकीयकरण की प्रकिया में आ रही वैधानिक एवं व्यवहारिक कठिनाईयों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए विभाग के द्वारा मार्गदर्शन चाहा गया। इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग तथा वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को शीघ्र नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/आवास एवं पर्यावरण विभाग/वाणिज्य एवं उद्योग विभाग)

13/ <u>नैक मूल्यांकन की समीक्षा –</u>

बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता हेतु नैक द्वारा मूल्यांकन एवं प्रत्यायन अतिआवश्यक है । राज्य गठन के बाद प्रदेश के एक विश्वविद्यालय एवं 04 महाविद्यालयों को नैक से 'ए' ग्रेड प्राप्त हुआ है, इसकी सराहना की गयी एवं नैक प्रत्यायन हेतु विभाग द्वारा किये जा रहे कार्यो की प्रशंसा की गयी। मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा नैक मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में आ रही कठिनाईयों को प्राथमिकता से दूर करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग को निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

14/ <u>रूसा परियोजना की समीक्षा–</u>

बैठक में रूसा परियोजना की समीक्षा की गयी एवं अब तक भारत सरकार के द्वारा रू0 154.00 (पांचवी पैब की बैठक) तथा रू0 159.00 (आठवी पैब की बैठक में) की स्वीकृति की जानकारी दी गयी । बैठक में परियोजना संचालक के द्वारा बताया गया कि पूर्व में केन्द्र सरकार का अंशदान 65 प्रतिशत था जिसे अब बदलकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है । वित्त विभाग को तद्नुसार उचित बजट प्रावधान करने के निर्देश मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा दिये गये। बैठक में जानकारी दी गयी कि प्रदेश में 5 विश्वविद्यालय हेतु रू0 20–20 करोड़ की राशि तथा अन्य महाविद्यालयों को रू0 2–2 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी। इस परिप्रेक्ष्य में मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा

Scanned by CamScanner

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि संबंधित कुलपतियों एवं प्राचार्यो से मिलकर उनकी आवश्यकताओं का आंकलन करें एवं प्राक्कलन तत्काल तैयार करवाकर निर्माण कार्यो को पूर्ण करायें। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर एवं सरगुजा के विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में निर्देशित किया गया कि पूरे भवन का प्लॉन एक ही बनाया जाये परन्तु प्रथम चरण में स्वीकृत रू0 20 करोड़ की राशि से ही निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाये । महाविद्यालयों को जो धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। उसमें अतिरिक्त कक्ष, प्रयोगशाला एवं हॉस्टल निर्माण कार्य को प्राथमिकता दिया जाये । इसके साथ ही सभी महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बिजली की बचत की दृष्टि से सोलर पैनल अनिवार्य रूप से लगाया जाये।

(कार्यवाही : उच्च शिक्षा विभाग/लोक निर्माण विभाग)

15/ <u>नवीन महाविद्यालय प्रारंभ करने बाबत –</u>

बैठक में मान0मुख्यमंत्रीजी के सचिव ने बताया कि मान0 मुख्यमंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप गीदम तथा कटेकल्याण में शासकीय महाविद्यालय प्रारंभ करने की कार्यवाही की जावे। विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि विगत वर्ष एवं इस वर्ष कहीं भी नये महाविद्यालय नहीं खोले जाने का निर्णय लिया गया है । इस संबंध में सचिव, मुख्यमंत्रीजी के द्वारा बताया गया कि प्रस्ताव पुनः वित्त विभाग को भेजा जावे एवं वित्त विभाग द्वारा इस संबधं में निर्णय लिया जायेगा।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

16/ <u>नवीन योजनाओं के संबंध में चर्चा –</u>

बैठक में विभाग के द्वारा कुछ नवीन योजनाओं के संबंध में प्रस्तुतिकरण दिया गया। इसमें से निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में सहमति व्यक्त करते हुए योजना को लागू करने के संबंध में निर्देशित किया गया :–

अ. <u>*मुख्यमंत्री महाविद्यालयीन युवा कौशल विकास योजना–*</u>

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के महाविद्यालय में युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने की दृष्टि से रूसा अंतर्गत स्वीकृत रू0 5 करोड़ की राशि में विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से जिला स्तर पर निविदायें आमंत्रित किया जाकर इसके माध्यम से छात्र–छात्राओं को अंग्रेजी भाषा (यूरोपियन स्टेण्डर्ड), कॅम्प्युटर ज्ञान एवं सामान्य व्यवहार कौशल का ज्ञान दिया जायेगा। इस संबंध में विभाग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश बनाकर विभागीय मंत्रीजी के अनुमोदन उपरांत सभी जिलों को प्रसारित किया जायेगा।

ब. <u>*नवीन जिला मुख्यालय के महाविद्यालयों का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन –*</u>

निर्णय लिया गया कि अनुसूचित क्षेत्रों के महाविद्यालयों में 5 विषय के स्थान पर 2 विषय में स्नातकोत्तर कक्षायें संचालित किये जाने पर उसे स्नातकोत्तर महाविद्यालय को दर्जा दिया जावे। वर्तमान में 8 जिला मुख्यालय में स्नातकोत्तर कक्षायें स्वीकृत नहीं हैं । अतः सर्वेक्षण कर इन्हें स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा प्रदान किया जाये। इस हेतु आवश्यक अनुमति वित्त विभाग से प्राप्त किया जाये।

स. <u>*मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन फेलोशिप योजना –*</u>

इस योजना से अवगत होते हुए इस हेतु आवश्यक राशि का प्रावधान करने हेतु वित्त विभाग को निर्देशित किया गया । विस्तृत प्रस्ताव वित्त विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये ।

Scanned by CamScanner

द. ***<u>महाविद्यालयीन पंचमुखी विकास योजना –</u>***

उक्त योजना को महत्वपूर्ण बताते हुए मान0 मुख्यमंत्रीजी के द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी महाविद्यालयों में टॉयलेट का रख–रखाव एवं उन्नयन, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता, वाई–फाई की सुविधा, महाविद्यालय भवन की आवश्यक मरम्मत एवं रंग–रोगन का कार्य प्राथमिकता पर कराया जाये । विभाग के द्वारा उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त सी0एस0आर0 मद, रूसा मद एवं जिला स्तरीय अन्य स्त्रोत से धनराशि की व्यवस्था करायी जा सकती है। आवश्यकता हो तो आगामी बजट में इस हेतु कुछ धनराशि का प्रावधान भी किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

(कार्यवाही– उच्च शिक्षा विभाग/वित्त विभाग)

सधन्यवाद बैठक समाप्त हुई।

<u>(मान0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा अनुमोदित)</u>

संलग्न– उपरोक्तानुसार ।
परि.'अ' एवं 'ब'

(डॉ0बी0एल0अग्रवाल)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग

Scanned by CamScanner

पार.

दिनांक 09.10.2015 को आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची

1. श्री विवेक ढांड, मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन
2. श्री अमन कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, ऊर्जा एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3. डॉ0 बी0एल0 अग्रवाल, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
4. श्री अमित अग्रवाल, सचिव, वित्त विभाग
5. श्री सुबोध कुमार सिंह, सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी, खनिज साधन एवं वाणिज्य उद्योग विभाग
6. श्री रजत कुमार, संयुक्त सचिव, माननीय मुख्यमंत्रीजी
7. श्री भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग
8. श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, संचालक, जनसंपर्क एवं आयुक्त, आदिम जाति विकास
9. डॉ0 ए0के0 पाण्डेय, ओ0एस0डी0, उच्च शिक्षा विभाग
10. डॉ0 आर0बी0 सुब्रमनियन, अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
11. डॉ0 के0एन0 बापट, अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
12. डॉ0 डी0एन0 वर्मा, अपर संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
13. डॉ0 किरण गजपाल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग
14. श्री डी0के0 प्रधान, प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग
15. डॉ0 डी0एन0 शर्मा, सहायक प्राध्यापक, कल्याण महाविद्यालय, भिलाई नगर, दुर्ग

Scanned by CamScanner